भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 628 #

गुरूवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

मनोरंजक गतिविधियों के लिए सुरक्षा उपायों का मानकीकरण

628 # श्री धैर्यशील मोहन पाटिल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल निकायों से संबंधित पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार तैराकी, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग जैसी मनोरंजक गतिविधियों के लिए राष्ट्रव्यापी सुरक्षा मानकीकरण नियम लाने की योजना बना रही है क्योंकि ये कई दुर्घटनाओं और मौतों का कारण हैं; और

(ग) कोंकण के साहसिक पर्यटन स्थलों में बचाव बुनियादी ढांचे (नाव, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित कार्मिक) के उन्नयन के लिए बजटीय आवंटन और उसके उपयोग की निगरानी किस प्रकार की जाती है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से पूरे भारत में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक और मानकीकृत अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से एडवेंचर संबंधी आदर्श सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने एवं तैयार करने/अद्यतन करने के लिए परिचालित किए गए हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी एडवेंचर से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ग): साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से देश में साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा विकास हेतु शुरू की गई परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है और उनके द्वारा परियोजना प्रस्तावों की प्रस्तुति, संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति के अध्यधीन उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और उसमें तेजी लाने तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का मार्गदर्शन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति और मिशन निदेशालय की बैठकों सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

*****